

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर तोगावास

अनुवान मोहम्मद नदीम आदि बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या -239/2025

निर्णय दिनांक 02/07/25

1. मोहम्मद नदीम पुत्र सफी मोहम्मद जाति कसाई निवासी गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरु
2. मोहम्मद जमील पुत्र मोहम्मद सफी जाति कसाई निवासी गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरु
3. फातमा पत्नि मो. सफी जाति कसाई निवासी गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरु
4. मोहम्मद सलीम खत्री पुत्र सफी मोहम्मद जाति कसाई निवासी गलगटी तहसील तारानगर जिला चूरु

प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट


--:निर्णय::--

प्रार्थीगण द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संवल पखवाड़ा शिविर तोगावास में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 66 खसरा नं. 257/111 तादादी 1.8588 हैक्ट., खसरा नं. 258/12 तादादी 2.0485 हैक्ट. भूमि रोही ग्राम गलगटी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थीगण का नाम नदीम पुत्र सफी, जमील पुत्र सफी, फातमा पत्नि सफी व सलीम पुत्र सफी दर्ज है जो कि गलत है सही नाम मोहम्मद नदीम पुत्र सफी मोहम्मद, मोहम्मद जमील पुत्र मोहम्मद सफी, फातमा पत्नि मो. सफी, मोहम्मद सलीम खत्री पुत्र सफी मोहम्मद है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्धि कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में संबंधित पटवारी हल्का ने प्रार्थीगण का नाम मोहम्मद नदीम पुत्र सफी मोहम्मद, मोहम्मद जमील पुत्र मोहम्मद सफी, फातमा पत्नि मो. सफी, मोहम्मद सलीम खत्री पुत्र सफी मोहम्मद किये जाने की अभिशंका की गई है।

अतः कृपि भूमि रोही ग्राम गलगटी तहसील तारानगर के खाता संख्या 66 खसरा नं. 257/111 तादादी 1.8588 हैक्ट., खसरा नं. 258/12 तादादी 2.0485 हैक्ट. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम नदीम पुत्र सफी, जमील पुत्र सफी, फातमा पत्नि सफी व सलीम पुत्र सफी Delete कर इसके स्थान पर मोहम्मद नदीम पुत्र सफी मोहम्मद, मोहम्मद जमील पुत्र मोहम्मद सफी, फातमा पत्नि मो. सफी, मोहम्मद सलीम खत्री पुत्र सफी मोहम्मद अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फंसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02/07/25 को कैम्प कोर्ट तोगावास में लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)  
उपखण्ड अधिकारी  
तारानगर (चूरु)